

26-16-15
Subscribed by me
जि. सा. भि. सा.

परिवादी द्वारा अधिवक्ता श्री डी०एस० गुर्जर।
अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री केशवसिंह गुर्जर।
प्रकरण आरोप तर्क हेतु नियत है।
उभयपक्ष के आरोप तर्क सुने गए।

प्रकरण में आरोप पूर्व साक्षी अभियुक्त रामवरन के विरुद्ध उसके द्वारा परिवादी को दहेज की मांग के लिए अवैध रूप से इस प्रकार के आचरण जिससे कि आवेदिका आत्महत्या हेतु प्रेरित हो या उसके जीवन अंग अथवा स्वास्थ्य को शारीरिक अथवा मानसिक रूप से गंभीर क्षति कारित होने की संभावना रही हो अथवा आवेदिका को अथवा उसके किसी नातेदार को संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की मांग पूरी करने के लिए प्रताडित किए जाने के द्वारा कूरता कारित की गयी हो। ऐसे में संहिता की धारा 498 क के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु अभिलेख पर प्रस्तुत शपथ पूर्वक साक्ष्य में कोई सारवान कथन नहीं किया गया है।

21 May 2015

Order Sheet [Contd]

N-156
C.J.

Case No. 30/1/20.....

अ.क. गुप्ता

याचिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

गोहाद जिला भिण्ड म.प.

Order or proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of
Parties or
Pleaders where
necessary

अतः अभियुक्त के विरुद्ध संहिता की धारा 498 क के अधीन आरोपी से
उन्मोचन किया जाता है।

अभियुक्त के जमानत व बंधपत्र भारमुक्त किए जाते हैं।

प्रकरण का परिणाम सुसंगत अभिलेख में दर्जकर अभिलेखागार भेजा
जावे।

(A.K.Gupta)

Judicial Magistrate First Class
Gohad distt. Bhind (M.P.)